पत्रांक –आ0प्र0–23 / 2008(पार्ट) / .... / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

विपिन कुमार राय,
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में

उप सचिव
बिहार विधान परिषद्
पटना।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **श्री नवल किशोर यादव, माननीय स0वि0प0 के तारांकित प्रश्न सं0–आर0आर0–5 के उत्तर से उद्भूत आश्वासन सं0–5 / 158वॉं सत्र का कार्यान्वयन (अनुपालन प्रतिवेदन) का प्रेषण।**

प्रसंगः– **बिहार विधान परिषद् सचिवालय का पत्रांक–1224(6) दिनांक–05.06. 2008**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि विषयाधीन आश्वासन से संबंधित अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, पटना समाहरणालय, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन (पत्रांक–1181 दिनांक–16.09.2011) के अनुसार उत्तर निम्नवत हैः–

" आपदा प्रबंधन शाखा, पटना समाहरणालय, पटना के ज्ञापांक –967 / आ0प्र0 दिनांक –06.10.2009 से श्री बाल किशुन मांझी, ग्राम –गुरुपतिचक, थाना–मसोढ़ी, जिला–पटना को यह सूचना दी गई कि वर्ष 1997 में मोरहर नदी में आयी बाढ़ के दौरान यदि अंचल कार्यालय, मसोढ़ी से निर्गत किसी आदेश के आलोक में उनके द्वारा बाढ़ राहत कार्य हेतु भाड़े पर नावा का परिचालन किया गया हो तो उक्त आदेश की प्रति / नाव चलाने संबंधी लॉग बुक को अंचल अधिकारी, मसोढ़ी के कार्यालय या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराकर भाड़ा / मजदूरी भुगतान संबंधी दावा प्रस्तुत किया जाये । परन्तु, श्री बाल किशुन मांझी द्वारा कोई कागजात / दावा प्रस्तुत नहीं किया गया । पुनः इस कार्यालय के पत्रांक –886 / आ0प्र0 दिनांक –29.07.2011 द्वारा अंचल अधिकारी, मसौढ़ी को उपर्युक्त आशय का निर्देश दिया गया और कृत कार्रवाई की सूचना प्राप्त की गई है ।

2. इस संदर्भ में अंचलाधिकारी, मसोढ़ी के पत्रांक –1036 दि0–02.09.2011 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बाल किसुन मांझी, ग्राम –गुरुपतिचक, अंचल –मसौढ़ी द्वारा नाव परिचालन के संबंध में कोई कागजात उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए भुगतान संभव नहीं है ।

3. अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री मांझी द्वारा न तो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में और न ही अंचलाधिकारी, मसोढ़ी के कार्यालय में ही नाव चलाने से संबंधित

कोई कागजात उपलब्ध कराये गये हैं । साथ ही कार्यालय में भी इनके द्वारा नाव परिचालन का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है । अतः ऐसी स्थिति में भुगतान संभव नहीं है । "

अतः उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुरोध है कि विषयांकित तारांकित प्रश्न के उत्तर से उद्भूत विषयाधीन आश्वासन सं0–05 / 158वॉं सत्र को इस विभाग की ओर से कार्यान्वित मानते हुए बिहार विधान परिषद की लंबित सूची से मुक्त करने का अनुरोध प्रश्न एवं आश्वासन समिति से करने तथा कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(विपिन कुमार राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–........................ / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–.....4905..... / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 6/11/13

प्रतिलिपि–सुश्री कविता कुमारी, आई0 टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

\\Pc22-pc\d\sanjay sir\letter 30-10-12.docx